>

Title: Need to check the menace of spurious drugs in the country.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): नकली दवाओं को प्रतिबंधित करने की संहिता में कोई कोशिश नहीं की गई जबकि माना जाता है कि नकली दवाओं के निर्यात में भी भारत अव्वल है। यहां हर साल करीब 35 हजार करोड़ रूपये की दवाओं का निर्यात किया जाता है। यही नहीं, नकली दवा बनाने वाले दूसरे देश के दवा निर्माता उसे भारत की बताकर बदनाम भी करते हैं। ऐसा एक मामला नाइजीरिया में पकड़ा भी गया था। चीन से आई इन दवाओं पर "मेड इन इंडिया" लिखा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो यहां तक मानना है कि भारत में महानगरों व बड़े शहरों में बिकने वाली हर पांचवी दवा नकली है। बहरलाल भारत न तो दवा निर्माता कंपनियों की नकेल कसने में सक्षम दिख रहा है। और न चिकित्सकों को बाध्यकारी कानून संहिता से बांध पा रहा है। ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र में दवा कंपनियों का कारोबार धडल्ले से परवान चढ़ रहा है। ये हालात उस देश की गरीब व अशिक्षित आबादी के लिए खतरनाक है जिसकी 42 फीसदी आबादी दो जून की रोटी भी नहीं जुटा पाती है। कृपया इस स्थिति को सुधारने हेतु जनहित में सरकार की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।